



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012021-224282  
CG-DL-E-08012021-224282

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 7, 2021/पौष 17, 1942

No. 76]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 2021/PAUSHA 17, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2021

का.आ. 82(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4131 (अ), तारीख 17 नवम्बर, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 17 नवम्बर, 2020 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना के, -

1. अनुसूची में, क्रमिक संख्या 1 के सामने, कालम (2) में प्रविष्टि “विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (संयुक्त-संगठन) पीलीभीत” के स्थान पर प्रविष्टि “विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (संयुक्त-संगठन), बरेली” प्रतिस्थापित की जायेगी।

2. अधिसूचना एवं अनुसूची में, “राष्ट्रीय राजमार्ग-730C एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-731K के रूढ़ता-पीलीभीत खण्ड (किमी 135.150 से किमी 183.380)” के स्थान पर प्रविष्टि “राष्ट्रीय राजमार्ग-730C, 730B एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-731K के रूढ़ता-पीलीभीत खण्ड” प्रतिस्थापित की जायेगी।

**पाद टिप्पणी:-** मूल अधिसूचना का.आ. 4131 (अ), तारीख 17 नवम्बर, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 17 नवम्बर, 2020 को प्रकाशित की गई थी।

[फा. सं. PIU/MoRT&H/LA/BRY/2020-21/3a Corr.]

राजेश गुप्ता, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th January, 2021

**S.O. No. 82(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.4131(E) dated the 17th November, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 17th November, 2020, namely:-

In the said notification, -

1. Against serial No.1 under column (2), for the entry “Special Land Acquisition Officer (Sa.-Sa.), Pilibhit”, the entry “Special Land Acquisition Officer (Sa.-Sa.), Bareilly” shall be substituted.
2. Against Notification & Schedule, for the entry “Radhaita to Pilibhit Section (Km.135.150 to Km.183.380) of NH-730C & NH-731K the entry “Radhaita to Pilibhit Section of NH-730C, 730B & NH-731K” shall be substituted.

**Foot note. :-** The principal notification was published vide S.O.4131(E) dated 17th November, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 17th November, 2020.

[F. No. PIU/MoRT&H/LA/BRY/2020-21/3a Corr.]

RAJESH GUPTA, Director